

प्रेस विज्ञप्ति
जनपद कानपुर देहात।

दिनांक:- 06.10.2020

थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अपहरण/हत्या/चोरी के अभियोग का खुलासा कर 04 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात मे दिनांक 5.10.20 समय 12.35 बजे वादिनी श्रीमती शैफाली सिंह पत्नी सुरेश कुमार उर्फ लाखन सिंह निवासी वार्ड नं0 03 अम्बेडकर नगर पुखरायां थाना भोगनीपुर कानपुर देहात की लिखित तहरीर पर मु0अ0सं0 483/2020 धारा 364/457/380 भादवि में विरुद्ध 1. प्रद्युम गुप्ता पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी टाकीज वाली गली सुभाष नगर पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात 2.सत्यम सचान पुत्र गुरू सचान निवासी त्रिवेदी मार्केट पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात 3. अभिषेक शुक्ला उर्फ लक्की पुत्र विश्वनाथ शुक्ला निवासी गदाई खेडा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात 4. अभिषेक तिवारी उर्फ रिषभ पुत्र सुरेश कुमार तिवारी निवासी रामस्वरूप नगर पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात 5. राघवेन्द्र सिंह पुत्र गिरजा शंकर निवासी राजेन्द्र नगर पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात 6. योगेन्द्र उर्फ रोहित उर्फ कलूवा पुत्र संजय कुमार निवासी वार्ड नं0 03 पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात 7. दीपांशु उर्फ रिशु पुत्र शिवनरायाण निवासी गदाईखेडा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात बाबत अभियुक्तगणो द्वारा वादिनी के पति सुरेश कुमार को वहाने से ले जाकर जान से मारने की नियत से गायब कर देना व अलमारी मे रखे रूपये व जेवरात चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे पंजीकृत कराया था इस सम्बन्ध मे दिनांक 2.10.2020 को मृतक सुरेश कुमार की गुमशुदगी दर्ज की गयी थी जिसमे तलाश जारी थी। मुखविर की सूचना पर अभियुक्ताण 1. अभिषेक तिवारी उर्फ रिषभ पुत्र सुरेश कुमार तिवारी निवासी रामस्वरूप नगर पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 24 वर्ष 2. राघवेन्द्र सिंह पुत्र गिरजा शंकर निवासी राजेन्द्र नगर पुखरायां थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 21 वर्ष 3. प्रद्युम गुप्ता पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी टाकीज वाली गली सुभाष नगर पुखरायां थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 20 वर्ष 4. योगेन्द्र उर्फ रोहित उर्फ कलुआ पुत्र संजय कुमार निवासी वार्ड नं0 3 पुखरायां थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 23 वर्ष को दिनांक 05.10.2020 को गिरफ्तार कर चोरी किये गये नगदी रूपये व सोने चांदी के आभूषण व घटना मे प्रयुक्त की गयी कार एवं आलाकत्ल एक अदद रस्सी तथा अभियुक्तगणो की निशादेही पर अपर्हत किये गये मृतक सुरेश कुमार का शव दिनांक 05.10.2020 को सेगुर नदी के पानी से बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अभिषेक तिवारी उर्फ रिषभ पुत्र सुरेश कुमार तिवारी निवासी रामस्वरूप नगर पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 24 वर्ष
2. राघवेन्द्र सिंह पुत्र गिरजा शंकर निवासी राजेन्द्र नगर पुखरायां थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 21 वर्ष 3. प्रद्युम गुप्ता पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी टाकीज वाली गली सुभाष नगर पुखरायां थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 20 वर्ष
4. योगेन्द्र उर्फ रोहित उर्फ कलुआ पुत्र संजय कुमार निवासी वार्ड नं0 3 पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी

1. एक अदद कार न0 UP 77 AC 6726 TUV 300 महिन्द्रा
2. 363800/- रुपया
3. ज्वेलरी(एक जोडा झुमकी पीली धातु, 04 अदद चैन पीली धातु, 02 अदद मंगलसूत्र पीली धातु, 02 अदद वेसर पीली धातु, 01 अदद अगूठी पीली धातु, 01 छल्ला पीली धातु, 01 अदद नाक की वेसर पीली धातु, 01 अदद अंगूठी सफेद धातु, 01 जोडा पायल सफेद धातु, 01 जोडा तोडिया सफेद धातु, 01 ब्रेसलेट सफेद धातु)
4. मृतक सुरेश कुमार का आधार कार्ड व बैंक पासबुक
5. आलाकत्ल एक अदद रस्सी

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 483/2020 धारा 364/457/380 भा0द0वि0 व बढोत्तरी धारा 411/302/201/34 भा0द0वि0

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह थाना भोगनीपुर कानपुर देहात।
2. श्री प्रभात कुमार सिंह एस0ओ0जी0 प्रभारी
3. व0उ0नि0 दिनेश कुमार यादव थाना भोगनीपुर कानपुर देहात।

4. उ0नि0 अतुल गौतम चौकी प्रभारी पुखरायां थाना भोगनीपुर कानपुर देहात।
5. उ0नि0 प्रशांत गौतम सर्विलांस प्रभारी थाना भोगनीपुर कानपुर देहात।
6. का0 231 सूबेदार सिंह थाना भोगनीपुर कानपुर देहात।
7. का0 554 नितिन कुमार थाना भोगनीपुर कानपुर देहात।
8. का0 399 पालेन्द्र सिंह थाना भोगनीपुर कानपुर देहात।
9. का0 884 सुधीर सिंह छौंकर थाना भोगनीपुर कानपुर देहात।
10. HC 129 जय कुमार थाना भोगनीपुर कानपुर देहात।
11. C 239 सोनू यादव थाना भोगनीपुर कानपुर देहात।
12. का0 942 दुर्गेश कुमार थाना भोगनीपुर कानपुर देहात।
13. का0 117 अजीत कुमार सर्विलांस
14. का0 544 ध्यानेन्द्र कुमार सर्विलांस